

प्रेषक,

मनिराम सिंह  
संयुक्त सचिव  
उपराज्य प्रशासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उपराज्य प्रशासन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश+राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक : 01 सितम्बर, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11036/10/2015-एचएफए-।(एफटीएस-13829) दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, पत्र संख्या-एन-11021/07/2017-एचएफए(एफटीएस-19260) दिनांक 29 जून, 2017 व पत्र संख्या-एन-11011/23/2017-एचएफए-।/एफटीएस-3023515 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा जारी केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि के आधार पर आपके पत्र संख्या-1716/22/76/एक/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार" घटक हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से सामान्य वर्ग के 22334 लाभार्थियों हेतु कुल अनुमन्य धनराशि का 40 प्रतिशत केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कुल धनराशि ₹0 22334.00 लाख (₹0 दो अरब तेर्फ़िस करोड़ चौंतीस लाख मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या-866/2016/2916/69-1-16-14(139)/2015टीसी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप दिशा-निर्देशों/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि (प्रत्येक किश्त) के पूर्व निर्मित किये जा रहे आवासों के फोटोग्राफ्स की जियो-टैगिंग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं/निर्मित किये जा रहे आवासों में उपर्युक्त आपदा प्रतिरोध विशेषताओं को भी समिलित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परियोजनाओं/आवासों के निर्माण में एन०बी०सी० के नियमों/प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में जी०एफ०आर०-२००५ में दी गई व्यवस्थानुसार स्वीकृत धनराशि को व्याज सहित भारत सरकार को वापस किया जायेगा।
7. सूड़ा/इडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-८/२०१७/वी-१-११९०/दस-२०१७-२३१/२०१७, दिनांक ०३ अगस्त, २०१७ में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से पी०एल०ए०/बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।
9. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसे सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "२२१७-शहरी विकास-०५-अन्य शहरी विकास योजनाये-०५१-निर्माण-०१-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-०१०४-प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) मिशन (के.६०/रा.४०-के.)-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-८-१००६/दस-२०१७, दिनांक ०१ सितम्बर, २०१७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनिराम सिंह)

संयुक्त सचिव।

क्रमांक:.....3

संख्या-105/2017/1201(1)/69-1-17-14(87)/2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-१/४, ३०प्र० शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/ कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,  
  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।